

9.4.24

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट/उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 09.04.24 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 01/05/24 को पेश है।

8.5.24

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। हेतु अपील/रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 08.08.24 को पेश हों।

01/08/24

पत्रावली प्रस्तुत अभिभावक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 12/08/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील/रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/रेस्पोंडेंट के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/रेस्पोंडेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कम होकर बाद तत्पश्चात् तामील दस्तियाव दफ्तार रहे।

12/9/24

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील/रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/रेस्पोंडेंट के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/रेस्पोंडेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कम होकर बाद तत्पश्चात् तामील दस्तियाव दफ्तार रहे।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्डान)